राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली

कलेक्ट्रेट कैम्पस कमरा नं. 14,करौली E-Mail- DLO.KAR@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक : लेखा/सान्याअवि/2022-23/ 2753 दिनांक : 24/8/22

खुली निविदा सूचना (दर संविदा) 01/2022-23

जिला कार्यालय के अधीनस्थ संचालित राजकीय छात्रावासों में अनावर्तक सामग्री यथा गद्दा, कम्बल, बैडशीट, थाली, गिलास, चम्मच, गैस चूल्हा, भट्टी, कढाई, बाल्टी, आटा रखने व पानी रखने की टंकी इत्यादि क्रय हेतु जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/बोनाफाइड विर्निमाता/पंजीकृत डीलर एवं प्राधिकृत राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड आदि पंजीकृत फर्मो से मौहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	अमानत राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत)	निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारम्भ तिथि व समय	निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्राप्ति की अंतिम दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक व समय
1	6.65 लाख	500/ रूपये	13300/-	26/8/22 प्रातः 10 बजे से	09/09/22 सायं 5 बजे तक	12/9/22 दोपहर 12 बजे तक	12/9/22 दोपहर 02 बजे बाद

1. निविदा शुल्क एवं निविदा प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।
2. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी।
3. निविदा आवेदक फर्म जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिये।
4. निविदा प्रपत्र कार्यालय सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, करौली से किसी भी कार्य दिवस में ई-ग्रास पर मद 0075-00-800-52-01 में जरिए चालान निर्धारित निविदा शुल्क राशि 500/- रूपये जमा कराकर दिनॉक 9/9/22 को ~~प्रातः~~ सायं 5:00 बजे तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है या बेबसाईट http://www.sje.rajasthan.gov.in से या SPPP WEBPORTAL से भी डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा उन्ही निविदादाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा निर्धारित निविदा शुल्क 500/- रूपये की राशि ई-ग्रास पर मद 0075-00-800-52-01 में जरिए चालान, एवं निविदा प्रतिभूति राशि का डीडी/बैंकर्स चैक (कार्यालय **सहायक निदेशक सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, करौली** के नाम से देय हो), दिनांक 12/9/22 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय में जमा करा दिये गये हो। निविदा निर्धारित दिनॉक 12/9/22 को अपरान्ह 02:00 बजे उपस्थित निविदा दाताओ/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी।
5. निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्ते कार्यालय के नोटिस बोर्ड, विभागीय बेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in एवं SPPP portal पर उपलब्ध हैं।

(रिंकी)
सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
करौली

क्रमांक : लेखा/सान्याअवि/2021-22/ 2754-58 दिनांक : 24/8/22

प्रतिलिपिः-

1. श्रीमान निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में डीपीआर दरों पर प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।

4. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को विभागीय बेबसाइट पर निविदा अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली

सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
करौली

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली

कलेक्ट्रेट कैम्पस कमरा नं. 14 करौली E-Mail- DLO.KAR@RAJASTHAN.GOV.IN

तकनीकी निविदा (स्टेज– I) (लिफाफा– I)

विषय :– राजकीय छात्रावासों में अनावर्तक सामग्री सप्लाई करने हेतु दर संविदा

1. निविदादाता फर्म / संवेदक का नाम एवं डाक का पता :– ....
2. निविदादाता फर्म / संवेदक का फोन एवं मोबाईल नम्बर :– ....
3. निविदादाता का ई–मेल एड्रेस :– ....
4. संदर्भ निविदा सूचना कमांक :– 2753 /2022–23 दिनॉक 24/8/22
5. हम सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता विभाग, करौली द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 01 / 2022–23 दिनॉक 24/8/22 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
6. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण :–

क्र. सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हॉ अथवा नहीं	वैधता एवं संलग्न पृष्ठ संख्या
1	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500 /– जमा के चालान की प्रति		
3	अमानत राशि का विवरण (डीडी / बैंकर्स चैक)		
4	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)		
5	आयकर (पैन नम्बर)		
6	बोलीदाता के किसी भी विभाग / संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट / डिबार न किये जाने संबंधी वचनबद्धता पत्र स्केन कर अपलोड करें।		
7	राजस्थान लघु उधोग से पंजीयन		
8	डीलरशिप पंजीयन		
9	वार्षिक टर्न ओवर (गत वर्ष का जो कि 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए)		

7. निविदा शुल्क जरिए चालान एवं अमानत राशि जरिए डीडी / बैंकर्स चैक जमा करवाकर कार्यालय में निर्धारित दिनॉक तक आवश्यक रूप से जमा करावें । कृपया इसका विशेष ध्यान रखें।

हस्ताक्षर निविदादाता

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली

कलेक्ट्रेट कैम्पस कमरा नं. 14,करौली E-Mail- DLO.KAR@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक : लेखा/सान्याअवि/2021-22/ 2753 **दिनांक** : 24/8/22

वित्तीय निविदा (लिफाफा–2)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता एवं मोबाईल नम्बर..
....
2. निविदा शुल्क की राशि........................चालान संख्या...................... एवं दिनांक..........................द्वारा जमा करवा दी गई है।
3. प्रतिभूति राशि/अमानत राशि का डीडी राशि ..../– रूपये संलग्न है।
4. निम्नलिखित मदो की सप्लाई के लिये दरें निम्न प्रकार होगी
5. सामग्री विवरण :–

क्र. सं.	सामान का विवरण	स्पेशिफिकेशन	दर रूपये में प्रति इकाई (सभी करों सहित)	जी.एस.टी. राशि	दर रूपये में प्रति इकाई (जी.एस.टी. एवं सभी करों सहित)
1	गद्दा	पी.यू. फॉम 90cmX180cm(3inch)			
2	तकिया	40cmX60cm (फॉम/फाइबर) वजन न्यूनतम 01 किग्रा.			
3	गैस चूॅल्हा	ISI मार्का 02 बर्नर वाला			
4	प्रेशर कुकर	ISI मार्का वजन 10Kg एल्यूमिनियम			
5	कढाई बडी लोहा	न्यूनतम वजन 08 किग्रा.(बडी)			
6	स्टील थाली कटोरीनुमा	न्यूनतम वजन 500 ग्राम			
7	स्टील गिलास	न्यूनतम वजन 50 ग्राम			
8	स्टील चमम्च बडी	न्यूनतम वजन 100 ग्राम			
9	स्टील चम्मच छोटी	न्यूनतम वजन 25 ग्राम			
10	गैस भट्टी	50 आवासियों हेतु			
11	पंखा	ISI मार्का न्यूनतम 01 वर्ष की गारन्टी			
12	आटा रखने का ड्रम	क्षमता 100 किग्रा. न्यूनतम वजन 10 किग्रा.			
13	तवा लोहे का	न्यूनतम वजन 06 किग्रा			
14	भगौना	क्षमता 20 किग्रा. एल्यूमिनियम कुन्देदार न्यूनतम वजन 5			

		किग्रा.			
15	आटा लगाने की परात	स्टील, क्षमता 20 किग्रा. न्यूनतम वजन 2.5 किग्रा.			
16	पलंग लोहे का	22 गेज पाइप व 12mm प्लाई साइज 4 X 6X1.5			
17	छोटी भगौनी	क्षमता 03 किग्रा. न्यूनतम वजन 500 ग्राम			
18	स्टील जग	क्षमता 02 लीटर न्यूनतम वजन 400 ग्राम			
19	बाल्टी स्टील	क्षमता 10 लीटर न्यूनतम वजन 1.5 किग्रा.			
20	पलटा	फुल साइज			
21	पानी की टंकी स्टील	क्षमता 20 लीटर न्यूनतम वजन 04 किग्रा.			
22	टेबल	2 X 3 लकडी की प्लाई विद लोहे का फ्रेम			

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

निविदा की सामान्य शर्तें:–

1. निर्धारित प्रपत्र बेबसाईट http://www.sje.rajasthan.gov.in यां SPPP WEBPORTAL से या कार्यालय समय मे कार्यालय से दिनाक 09/9/22 समय सायं 5 बजे तक निविदा शुल्क जमा करा कर प्राप्त किये जा सकते है। भरी हुई निविदा दिनांक 12/9/22 को दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में जमा की जाकर उसी दिन दोपहर 2.00 बजे क्रय समिति एवं उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
2. यदि किसी कारण वश उस दिन का अवकाश रहता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर खोली जावेगी।
3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क जरिए चालान सम्बन्धित मद में जमा करवाकर व धरोहर राशि का डीडी कार्यालय **सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली** के नाम से देय हो निर्धारित दिनॉक को कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। सशर्ते निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा। तकनीकी (निविदा शुल्क चालान, अमानत राशि डीड एवं अन्य वांछित दस्तावेज) एवं वित्तीय निविदाएं अलग–अलग लिफाफो में बन्द कर एक बडे लिफाफे मे मुहर बन्द कर प्रस्तुत करनी होगी।
4. निविदाऐं स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
5. निविदा द्वारा अनुमोदित की गई दरें अनुबन्घ की दिनांक 31.03.2023 तक के लिये विधि मान्य है।
6. निविदा के साथ वेट/बिक्री कर पंजीयन एवं नवीनतम वेट/बिक्री कर दिनांक 31.03.2022 तक चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. विनिर्माता/डीलर आदि को घोषणा पत्र(एस.आर.–11) संलग्न करनी होगी।
8. विभाग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करता हूॅ/है। इसके सहमति स्वरूप निविदा के सभी पृष्ठों व उल्लेखित शर्तो को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण पत्र में सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
9. अपूर्ण अथवा अहस्ताक्षरित निविदा अमान्य होगी।
10. निविदादाता जीएसटी अधिनियम 2017 के अधीन पंजीकृत व्यवसायी होना चाहिए एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करनी होगी।
11. दरें सम्बन्धित छात्रावासों तक एफ.ओ.आर. उद्वत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी अनुषंगिक प्रभारी (सामग्रीलागत, पैंकिग, परिवहन, लोंडिग/अनलोडिंग, नाप, तोल, संस्थापन तथा सभी प्रकार के कर व शुल्क,जीएसटी के अतिरिक्त) को शामिल करना होगा।
12. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिये यह समझा जाएगा कि उसने प्रदान किये जाने वाले माल की शर्तो विनिर्देशों, आकार, मेक, एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जॉच कर ली है। यदि इन शर्तो विनिर्देशों, रेखाचित्रों आदि के किसी भाग के आशय के बारे में कोई संदेह हो,ता वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
13. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा या उप–भाडे(सब लैट) पर नही देगा।
14. विनिर्देश–(1) प्रयुक्त की गई वस्तुऐं निविदा के साथ प्रस्तुत नमूना के पूर्णतया अनुरूप होगी एवं जिन वस्तुओं का नमूना उपलब्ध नही है उन वस्तुओं ब्रॅाशर साथ में देना होगा। (2)वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित न हो, वहॉं अतिउत्तम गुणवता, एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जायेगा। सामग्री के नमूने तकनीकी निविदा के साथ या पूर्व में ही जिला कार्यालय में निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। नमूने परीक्षण उपरांत ही वित्तीय निविदा खोले जाने पर विचार किया जाएगा।
15. निविदादाताओं या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
16. (1)सुपुर्दगी अवधि–निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाये सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली द्वारा प्रदाय आदेश करने की तारीख से 10 दिवस की अवधि के भीतर आदेशानुसार कार्य स्थल पर सामग्री की आपूर्ति करेगा।
17. (2)यदि कार्यकारी संस्था निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में सामग्री आपूर्ति करता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति क्लेम करने का हकदार नही होगा।

18. विलम्ब से सुपुर्दगी करने पर जी.एफ.एण्ड.आर. के नियमानुसार राशि की कटौती की जावेगी।

19. आपूर्तिकर्ता को आदेशित सामग्री का सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली की मांग के अनुसार कार्य करना होगा। इससे भिन्न आईटम का भुगतान नही किया जायेगा।

20. सामग्री की आपूर्ति के लिये आदेश सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली द्वारा आवश्यकतानुसार दिया जायेगा।

21. सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली जारी क्रय आदेश के कम में आपूर्ति की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि तथां कय समिति के सत्यापन पश्चात ही भुगतान किया जायेगा। सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली द्वारा एक प्रति कार्यालय उपयोग के लिये तथा दूसरी प्रति को प्रमाणित कर बिल के साथ भेजी जावेगी।

22. धरोहर राशि–(क)निविदा के साथ अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत धरोहर राशि प्रस्तुत की जावेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा। यह राशि सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली के पक्ष में बैंकर चैक के रूप मे जमा करानी होगी। (ख)धरोहर राशि का प्रतिदाय–असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटायी जाएगी। (ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि जमा करने की आवश्यकता नही है।

23. धरोहर राशि का समपरहण–बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समहरण कर लिया जाएगाः (1)जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है,या उसमें रूपान्तरण करता है। (2)जब विनिदादाता विर्निष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को,यदि कोई हो,निष्पादित नही करता है। (3)जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता है। (4)जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारंभ करने में असफल रहता है।

24. (1)करार एवं प्रतिभूति निक्षेप–(1)सफल निविदादाताओं को आदेश के प्राप्त होने से 3 दिन की अवधि के भीतर एक करार पत्र रूपये 500 के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिन कार्यो के लिये निविदायें स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। तथा एसएसआई यूनिट के अन्तर्गत पार्ट–2 में पंजीकृत फर्मो को निविदा के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिनकी निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गयी है, 3 दिन के भीतर जमा करवायी जायेगी। (2)निविदा क समय जमा करायी गयी धरोहर राशि से कम की नही होगी। (3)प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाएगा। (4)प्रतिभूति राशि बैंकर चैक के रूप में ही जमा करवानी होगी।

(2)प्रतिभूति निक्षेप का समहरणः–प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा–(क)जब संविदा के किन्ही निर्बन्धनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने का क्रेताधिकारी को पूर्ण होगा।(ग)प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण करने के मामले में 7 दिवस का नोटिस दिया जायेगा।तथा प्रतिभूति राशि समपहरण कर फर्म को विसर्जित कर दिया जावेगा।इस संबंध में क्रेताधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

25. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल जीएसटी राशि को अलग दर्शाया जाकर बिल प्रस्तुत करना होगा संबंधित विभाग में जीएसटी राशि जमा कराने का दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा।

26. भुगतान बिलों से नियमानुसार आयकर/जीएसटी की कटौतियां की जावेगी।

27. क्रय समिति द्वारा स्वीकार की गई निविदा पर द्वारा 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा कराने का प्रावधान है। जिसमें 2 प्रतिशत अमानत राशि समाहित करने के पश्चात शेष 3 प्रतिशत राशि 3 दिवस में जमा करानी होगी।

28. सामग्री सम्बन्धित छात्रावासों/जिला कार्यालय में सुपुर्द कर पावती प्राप्त करनी है।

29. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थागित किया जाना आवश्यक हो किसी पक्षकार जिला करौली में स्थित न्यायालयों में ही की जावेगी।

30. निविदा संबंधी समस्त अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित होंगे जिनका निर्णय अंतिम एवं सार्वमान्य होगा।

31. अन्य समस्त शर्तें राज्य सरकार के उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में उल्लेखित कय नियम एवं समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।

32. सक्षम स्तर से स्वीकृति मिलने पर ही कार्यादेश दिये जावेंगे।

33. निविदादाता द्वारा विहित समय पर सामग्री आपूर्ति न करने की स्थिति में निविदा फर्म से ठीक बाद वाली निविदा फर्म को सामग्री आपूर्ति का आदेश दिया जा सकता है।

34. वित्तीय निविदा खोलने से पहले निविदादाताओं से अलग से प्राप्त लिफाफे खोले जायेगें जिसमे आयकर विवरणी, जीएसटी पंजीयन फर्म रजिस्ट्रेशन,फर्म के स्वामी का पैन कार्ड इत्यादि की छायांप्रति संलग्न होनी अनिवार्य है।बिना इसके संबंधित निविदादाता के वित्तीय निविदा न ही खोली जावेगी।

35. उपापन समिति संबंधित फर्मो के आपूर्ति स्थान पर जाकर माल की किस्म की जॉच करेगी एवं मानक स्तर से कम पाये जाने पर निविदा निरस्त कर इसके ठीक नीचे की दरों वाली फर्म को दी जा सकती है।

36. उक्त शर्तो में शिथिलन प्रदान करने का अधिकार उपापन समिति को होगा।

37. सामान की मात्रा आवश्यकता के अनुरूप घटाई एंव बढाई जा सकती है।

38. सफल संवेदक फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 10 दिवस में सम्बन्धित छात्रावासों पर एफओआर/जिला कार्यालय पर (आदेशानुसार) सामान की सुपुर्दगी कर दी जानी आवश्यक है।

39. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न किया गया है।

40. विभाग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 2753 दिनांक 24/8/22 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो के बाध्य होना स्वीकार करते है(इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

41. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति को होगा।

मैने/हमने उक्त शर्तो को पढकर समझ लिया है एवं इनसे पूर्णतयः सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम

पता

मोबाईल नम्बर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते है कि मैंने / हमने जिन मालों / सेवाओं / उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका / उनके / मैं / हम बोनाफाइड विनिर्माता / थोक विक्रेता / सोल वितरण / प्राधिकृत डीलर / डीलर / सोल सैलिंग / विपणन एजेण्ट हूँ / है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय सील

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest Any person participation in a procurement process shall.

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid and obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to fain unfair advantage in the procurement process;

(e) not include in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any: and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participation in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

i.A. Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative qtive for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties. that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity a engineer-in-charge/ consultant for the contract.

R

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to.............................for procurement of..................in response to their Notice Inviting Bids No.....................Dated................I/we hereby declare under Section7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity:
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document:
3. I/we are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement of misrepresentations as to my/our professional conduct or the making of false statements or representations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a confict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competiotion;

Date: Signature of bidder

Place: Name:

Designation:

Address:

ANNEXURE C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is...........

The designation and address of the Second Appellate Authority is......

(1) **Filling an appeal-** If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act of the Rule or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Documents within a period of then days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or gorunds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the other passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be , may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate authority, as the case may be.

(4) Appeal not to be lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **From of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts state in the appeal and proof or payment of fee.

(R)

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for Filling Appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon Filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall

i. hear all the parties to appeal present before him; and

ii. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspections of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM NO. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the rajasthan transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.............................of.................

Before the ....(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   i. Name of the appellant:
   ii. Official address, if any:
   iii. Residential address:
2. Name and address of the respondents(s):
   i.
   ii.

iii.

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with appeal:
6. Grounds of appeal: ....(Supported by an affidavit)
7. ....

Place...........................

Date............................

Appellant's Signature

Annexure D: Additional conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following

I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit prices shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is and obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:

II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

III. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurements or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not to be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring

Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities amoung more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even inore Bidders in the order, in a fair, transparent and equitable manner at the retes of the Bidder, whose Bid is accepted.